

विनियामक और अन्य उपाय जुलाई 2009

रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2009 को मास्टर परिपत्र का संशोधन किया है। मास्टर परिपत्र के विस्तृत ब्यौरे आरबीआइ की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर देखे जा सकते हैं।

आरबीआइ / 2009-10 / 92 संदर्भ सं.ग्राआरवि.कैका.
आरआरबी.बीसी.सं.11 / 03.05.33 / 2009-10 दिनांकित
01 जुलाई 2009

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआरवि.कैका.आरआरबी. बीसी. सं.18/03.05.072/ 2008-09; 17 नवंबर 2008 का परिपत्र ग्राआरवि.कैका.आरआरबी.बीसी.सं. 64/ 03.05.072/ 2008-09 और 23 मार्च 2009 का परिपत्र ग्राआरवि.कैका.आरआरबी.बीसी.सं. 92/03.05.072/ 2008-09 देखें।

2. 23 मार्च 2009 के परिपत्र के अनुसार हमने सूचित किया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत “अन्य किसानों” द्वारा पहली किस्त के भुगतान की अंतिम को 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दिया जाए। दूसरी और तीसरी किस्तों के भुगतान की अंतिम तारीखें बिना किसी परिवर्तन के 31 मार्च 2009 और 30 जून 2009 बनी रहेंगी।

3. भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि “अन्य किसानों” के खातों को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली 25% की ऋण राहत के लिए पात्र बनाया जाए भले ही वे 75% के अपने संपूर्ण अंश का भुगतान एक ही किस्त में करते हों बशर्ते ऐसे किसान उसे 30 जून 2009 तक जमा कराएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र राशि पर 30 जून

2009 तक कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की प्रति संलग्न है।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों / ऋण देने वाली संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत 75% से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ ऋण देने वाली संस्थाएं राशि के अंतर को स्वयं वहन करें तथा भारत सरकार अथवा किसान से उस राशि का दावा न करें। सरकार ऋण राहत योजना के अंतर्गत वास्तविक पात्र राशि का केवल 25% अदा करेगी।

5. प्रावधानीकरण सहित उक्त परिपत्र की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आरबीआइ/2009-10/99 संदर्भ सं. बैंपवि.बीपी. बीसी.सं.23/21.06.001/2009-10 दिनांकित 07 जुलाई 2009

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

भारत में बासल II ढाँचे का उन्नत दृष्टिकोण लागू करना - समय अनुसूची

कृपया नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे से संबंधित 27 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 देखें, जिसके अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासल II ढाँचे के अंतर्गत उपलब्ध अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोण अपनाये हैं। अन्य वाणिज्य बैंकों ने भी 31 मार्च 2009 से इन दृष्टिकोणों को अपनाया है। इस प्रकार, भारत में बैंकों के लिए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (बासल II ढाँचे के अंतर्गत अंशतः संशोधित) लागू कर दिया गया है।

2. बैंकों द्वारा बासल II ढाँचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाये जाने से होने वाली संभावित पूंजीगत दक्षता, जोखिम प्रबंध ढाँचे के आवश्यक उन्नयन तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय समझा जा रहा है कि भारत में उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की जाए। इससे बैंक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने के लिए योजना बना सकेंगे और इस हेतु तैयारी कर सकेंगे।

3. अपेक्षित आधारभूत आँकड़े, एमआइएस और कौशल उन्नयन आदि सहित आवश्यक प्रौद्योगिकीय और जोखिम प्रबंध संरचना निर्मित करने में बैंकों को लगने वाले सम्भावित समय को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि विनियामक पूंजी मापन के लिए उन्नत दृष्टिकोण लागू करने हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की जाए।

क्र.	दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने वाले आवेदनों की आरंभिक तारीख	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिये जाने की संभावित तारीख
क.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख.	परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग.	परिचालन जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ.	ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (बुनियादी और उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बासल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें और अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्णय लें कि क्या वे कोई उन्नत दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। उन्नत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेने वाले बैंक निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक अनुमोदन हेतु यथासमय हमसे संपर्क करें। यदि बैंक के आंतरिक आकलन का परिणाम यह दर्शाए कि बैंक उपर्युक्त तारीखों तक उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं है तो बैंक अपनी तैयारी के आधार पर कोई उपयुक्त परवर्ती तारीख का चुनाव कर सकता है।

5. यह नोट किया जाए कि बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने विवेक से एक या अधिक जोखिम संवर्गों के लिए अपनी तैयारी के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अन्य जोखिम संवर्गों के लिए सरलतर दृष्टिकोण जारी रखें और यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी जोखिम संवर्गों के लिए एक ही साथ उन्नत दृष्टिकोण अपनाया जाए। तथापि, बैंकों को कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

संदर्भ सं.बैंपविवि. बीपी. सं 502 /08.12.015/
दिनांकित 7 जुलाई 2009

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) एक्सपोजरों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों का प्रारूप

कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 जून 2005 का हमारा परिपत्र डीबीएस.सीओ. पीपी.बीसी. 21/11.01. 005/2004-05 देखें।

2. बैंकों और अन्य क्षेत्रों से इस संबंध में अनेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि कतिपय एक्सपोजरों को वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) एक्सपोजर माना जाए अथवा नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि बासल II ढाँचा अपनाया गया है और इस ढाँचे में ऐसे एक्सपोजरों के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रावधान हैं, यह निर्णय लिया गया था कि सीआरई एक्सपोजर की परिभाषा की समीक्षा की जाए। हमारे 7 जनवरी 2009 के परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. सं. 11021/08.12.015/2008-09 द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देशों का प्रारूप बैंकों और जनसाधारण की टिप्पणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था।

3. प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिभाषा में संशोधन किया गया है। संशोधनों को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त समझा गया है कि बैंकों और जनता से पुनः टिप्पणी आमंत्रित की जाए। अतः, दिशानिर्देशों का संशोधित प्रारूप बैंकों और जनसाधारण की टिप्पणी के लिए संलग्न है। टिप्पणी प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को 16 जुलाई 2009 तक भेज दी जाए। टिप्पणियाँ ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं।

आर बी आइ/2009-10/ भु.नि.प्र.वि. (कें.का. नीति)
सं.147 /02.14.003/2009-10 जुलाई 22, 2009

सभी प्रणाली प्रदाता (वीसा/ मास्टर कार्ड / अमरीकन एक्सप्रेस), सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक

बिक्री केन्द्रों (पी. ओ. एस.) पर नकद आहरण की सुविधा

वर्तमान में प्लास्टिक कार्ड के उपयोग से नकद आहरण की सुविधा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) पर ही उपलब्ध है। देश में मई 31, 2009 को एटीएम और बिक्री केन्द्र

टर्मिनलों की संख्या क्रमशः 44,857 और 4,70,237 थी। विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बिक्री केन्द्र टर्मिनलों (पीओएस) में डेबिट कार्ड का प्रयोग सतत रूप से बढ़ रहा है। ग्राहकों को प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग संबंधी सहूलियत में वृद्धि करने के लिए पीओएस टर्मिनलों पर नकद आहरण की अनुमति का निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में यह सुविधा भारत में जारी सभी डेबिट कार्डों के लिए प्रतिदिन रु.1000/- तक की राशि के आहरण हेतु उपलब्ध होगी।

2. इस सुविधा के लिए जरूरी शर्तें अनुलग्नक में दी गई हैं।

3. बैंक इस सुविधा को प्रदान करने के लिए अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन ले सकते हैं। निदेशक मंडल को प्रस्तुत नोट में उत्पाद के विवरण, बैंक को होने वाले जोखिम और जोखिम निवारण के उपायों को शामिल किया जाए।

4. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के अंतर्गत जारी किया जा रहा है।

आरबीआइ2009-10/106 ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.05 दिनांकित 22 जुलाई 2009

सभी श्रेणी - प्राधिकृत व्यापारी बैंक

भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) नियमावली, 2004 (आइडीआर नियमावली) और उसके बाद उसमें अब तक किए गए संशोधनों और भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करने और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) दिशा-निर्देश, 2000 के संबंध में

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी 3 अप्रैल 2006 के परिपत्र सेबी/सीएफडी/डीआइएल/डीआइपी/20/2006/3/4 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. किसी घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारत से बाहर पात्र निवासी कंपनियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) का निर्गम सुगम बनाने तथा भारत में निवासी तथा भारत से बाहर के व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) खरीदने, धारण करने, अंतरित करने और और मोचित करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय निक्षेपागार रसीद (आइडीआर) नियमावली को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए।

3. तदनुसार, भारत से बाहर की पात्र निवासी कंपनियाँ किसी स्वदेशी निक्षेपागार के माध्यम से भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी कर सकती हैं। यह अनुमति कंपनी (निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) नियमावली तथा उसके बाद उसमें अब तक किए गए संशोधनों और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (डीआइपी) दिशा-निर्देश, 2000 के अनुपालन के अधीन दी गई है। किसी शाखा अथवा सहायक कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम के माध्यम से निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारत में कार्यरत वित्तीय/बैंकिंग कंपनियाँ भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने से पूर्व क्षेत्र नियंत्रक (नियंत्रकों) का अनुमोदन प्राप्त करें।

भरिबैं/2009-10/102 संदर्भ सं.आंक्रप्रवि. डीओडी सं. 334/11.08.36/2009-10 दिनांकित 20 जुलाई 2009

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएँ

तैयार वायदा संविदाएँ

आपका ध्यान हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र आंक्रप्रवि/पीडीआर एस/4779/10.02.01/2004-05

की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों) में तैयार वायदा संविदाओं (रिपो) में कारोबार करने के लिए पात्र श्रेणियों की संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई थी। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र संस्थाओं की वर्तमान श्रेणियों के अतिरिक्त उन गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भी तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी जाए जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हैं और जिनके गिल्ट खाते अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों में हैं।

2. तदनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएँ सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार (चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत बाजार रिपो, न कि रिपो) करने के लिए पात्र हैं:

क) वे व्यक्ति अथवा संस्थाएँ जिनका सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खाता भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में है, तथा

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएँ जिनका एसजीएल खाता भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है लेकिन किसी बैंक अथवा किसी ऐसी संस्था के पास गिल्ट खाता है (अर्थात् गिल्ट खाताधारक) जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में ग्राहकों का सहायक सामान्य लेजर खाता (सीएसजीएल खाता) रखने की अनुमति है:

- कोई अनुसूचित बैंक;
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी;
- कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हो (सरकारी

कंपनियों से इतर, जैसकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभषित है);

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में पंजीकृत कोई म्युच्युल निधि;
- राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई आवासीय वित्तीय कंपनी; तथा
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई बीमा कंपनी।
- कोई गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक।
- कोई सूचीबद्ध कंपनी जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वणिज्य बैंक के पास हो; तथा
- ऐसी कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हों तथा जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वणिज्य बैंक में हो।

3. दिनांक 11 मई 2005 के हमारे परिपत्र में निहित शर्तों और प्रतिबंधों के अतिरिक्त पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर तैयार वायदा संविदाओं में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध भी लागू होंगे:-

(क) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संपाश्विक पर ही रिपो संविदा के पहले चरण में निधि उधारकर्ता के रूप में तैयार वायदा लेन देन में कारोबार कर सकती हैं; तथा

(ख) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिरूप में कोई ऐसा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिजर्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो।

4. दिनांक 11 मई 2005 के हमारे परिपत्र आंत्रप्रवि.पीडीआरएस 4779/ 10.02.01/2004-05 में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।